

जितेन्द्र कुमार

पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकार

email : jitendramuskan2000@gmail.com



मो.+91 9454958146
+91 9807012820

पत्राचार- जटेपुर दक्षिणी,
धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ रोड
गोरखपुर-273001 (उ.प्र.)

दिनांक : 23.11.2016

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी

पिपराईच, गोरखपुर

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

विदित हो कि आपके कार्यक्षेत्र नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत निजी क्षेत्र के विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाये।

1. नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत निजी क्षेत्र के कुल कितने विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सभी विद्यालयों का नाम, संचालक/प्रबन्धक का नाम, पता, मोबाइल नं., मान्यता प्राप्त होने की तिथि, अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची सहित पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाये।
2. नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी विद्यालयों में शिक्षारत विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, शिक्षक/शिक्षिकाओं का विद्यालयवार नाम, पता, मोबाइल नं., नियुक्ति पत्र, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता की पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाये।
3. नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत संचालित सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी के संचालक/प्रबन्धक का नाम, पता, मोबाइल नं., मान्यता प्राप्त होने की तिथि, शिक्षक/शिक्षिकाओं की सूची, चतुर्थश्रेणी कर्मियों की सूची, पता, मोबाइल नं., शैक्षणिक योग्यता, जनवरी 2016 से नवम्बर 2016 तक वेतन प्राप्ति प्रमाण पत्र (बैंक खाता पासबुक) की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाये।
4. नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत संचालित सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी भवन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है का विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जांच अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नं. जांच की तिथि, जांच रिपोर्ट की पठनीय सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाये।
5. नगर पंचायत पिपराईच अन्तर्गत संचालित सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी के अस्थाई/स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र, जांच आदेश, जांच रिपोर्ट एवं मान्यता प्राप्ति प्रमाण पत्र की पठनीय सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाये।

सादर!

भवदीय

संलग्नक :

भारतीय पोस्टल आर्डर सं. **34F 339795** दिनांक 23.11.2016 संलग्नक।

(जितेन्द्र कुमार)

पत्रकार
गोरखपुर

जितेन्द्र कुमार

पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकार

email : jitendramuskan2000@gmail.com



मो.+91 9454958146
+91 9807012820

पत्राचार- जटेपुर दक्षिणी,
धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ रोड
गोरखपुर-273001 (उ.प्र.)

दिनांक : 05.02.2017

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 /
प्रथम अपील अनुस्मारक

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोरखपुर

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना/अभिलेख उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

विदित हो कि नगर पंचायत पिपराईच गोरखपुर अन्तर्गत संचालित निजी क्षेत्र के विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी पिपराईच गोरखपुर से दिनांक 23.11.2016 को किया गया था। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी मांगी गयी वांछित सूचना एवं अभिलेख आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हनन एवं उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि मेरे प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए मांगी गयी सूचना/अभिलेख बिन्दुवार यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।

सादर!

संलग्नक :

आवेदन पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

पत्रकार

जितेन्द्र कुमार

पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकार

email : jitendramuskan2000@gmail.com



मो.+91 9454958146

+91 9807012820

पत्राचार- जटेपुर दक्षिणी,
धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ रोड
गोरखपुर-273001 (उ.प्र.)

दिनांक : 23.04.2017

शिकायत

सेवा में,

जिलाधिकारी

गोरखपुर

विषय :-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हनन करने के विरुद्ध खण्ड शिक्षा अधिकारी
पिपराईच, गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विदित हो कि नगर पंचायत पिपराईच गोरखपुर अन्तर्गत संचालित निजी क्षेत्र के विद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी पिपराईच गोरखपुर से दिनांक 23.11.2016 को किया गया था। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी मांगी गयी वांछित सूचना एवं अभिलेख आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हनन एवं उल्लंघन है।

साथ ही प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को दिनांक 05.02.2016 को प्रेषित कर सूचना/अभिलेख उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया जिसका निस्तारण आज तक नहीं किया गया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि दोनों ही अधिकारी जानबूझकर आरटीआई प्रावधानों का हनन एवं उल्लंघन कर रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि आरटीआई एक्ट का हनन करने के विरुद्ध खण्ड शिक्षा अधिकारी पिपराईच गोरखपुर व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मेरे द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेख बिन्दुवार अपने स्तर से यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।

सादर!

संलग्नक :

1. आवेदन पत्र की छायाप्रति।
2. प्रथम अपील की छायाप्रति।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

पत्रकार

जितेन्द्र कुमार

पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकार

email : jitendramuskan2000@gmail.com



मो.+91 9454958146
+91 9807012820

पत्राचार- जटेपुर दक्षिणी,
धर्मशाला बाजार, गोरखनाथ रोड
गोरखपुर-273001 (उ.प्र.)

दिनांक : 23.04.2017
शिकायत

सेवा में,

जिलाधिकारी

गोरखपुर

विषय :-सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी पिपराईच गोरखपुर की जांच कराकर कार्यवाही के सम्बन्ध में।
महोदय,

विदित हो कि नगर पंचायत पिपराईच गोरखपुर अन्तर्गत संचालित "सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी" के पंजीकरण, मान्यता, शिक्षकों/कर्मचारियों, शिक्षणार्थियों की संख्या, भवन सत्यापन प्रमाण पत्र, शिक्षण कार्य हेतु लिये जाने वाले शुल्क आदि के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी पिपराईच गोरखपुर से दिनांक 23.11.2016 को किया गया था। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी मांगी गयी वांछित सूचना एवं अभिलेख नहीं मिलने पर प्रथम अपील जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को दिनांक 05.02.2016 को प्रेषित कर सूचना/अभिलेख उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया जिसका निस्तारण आज तक नहीं किया गया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि उक्त विद्यालय के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना उजागर होने से विभागीय अनियमितताएं एवं शासनादेश, नियमावली आदि के अवहेलना से पर्दा उजागर हो जायेगा इसलिए जानबूझकर मांगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख को आज तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सत्यम चिल्ड्रेन एकेडमी पिपराईच गोरखपुर के विरुद्ध बिन्दुवार जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर!

संलग्नक :

1. आवेदन पत्र की छायाप्रति।

प्रतिलिपि :-

1. मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

2. प्रमुख सचिव शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

पत्रकार